न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 154/2017 (225 आरटीए) शंकर वगै. बनाम इमीलाल वगै.

1 शंकर पुत्र श्री रामदीन
2 दाणुराम पुत्र श्री रामदीन
जातियान बिश्नोई, निवासीगण–जैसला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 इमीलाल पुत्र श्री भागीरथ,
2 पूनाराम पुत्र श्री भागीरथ,
3 बुधराम पुत्र श्री भागीरथ,
4 एलची पत्नी श्री भागीरथ
सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण– जैसला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
5 जीवण पुत्र श्री बुधर
6 गेपर पुत्र श्री बुधर
7 कानु पुत्र श्री प्रहलाद,
8 सुल्तानाराम पुत्र श्री प्रहलाद
सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण–राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 22.12.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3/2017

उपस्थित :

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 8 की तामील से छूट प्रदान की गई।

निर्णय

दिनांक : 16.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के आदेश दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि ग्राम जैसला के खसरा नं. 502 रकबा 55 बीघा 16 बिस्वा अपीलांट्स व रेस्पोडेट्स की सहखातेदारी का है जिसमें रेस्पो. 1

से 4 व अपीलांट्स का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, व अन्य रेस्पो. का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि में मौके पर अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। जहां रेस्पो. सं. 1 अपने परिवार सहित निवास कर रहा है व कब्जा काश्त है उस भूमि को अपीलांट्स बेचान करने व उसे बेदखल करने पर पर उतारू हैं। जिसे रोकने हेतु उपरोक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलांट ने इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद दिनाक 22.12.2017 को पत्रावली आदेश में रखी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 22.12.2017 अंकित करते हुए पूर्व में आदेश पारित कर दिया जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 19.12.2017 को करने पर नकल प्राप्त हुई। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायायलय में पेश की गई है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद दिनांक 22.12.2017 को पत्रावली आदेश में रखी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 22.12.2017 अंकित करते हुए पूर्व में आदेश पारित कर दिया जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 19.12.2017 को करने पर नकल प्राप्त हुई जो आदेश विधि के मूलभूत रिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। सहखातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को तय किए बिना आदेश पारित किया है। रेस्पो. सं. 1 अपने हक व हिस्से की भूमि तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है संपूर्ण विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 ने अपने कब्जा काश्त वाले स्थान को एबीसीडी से मार्क किया है उस स्थान पर कब्जा व हिस्सा स्वीकार किया है तथा अपीलांट ने यह इकबाली जवाब दावा पेश कर यह निवेदन किया है कि वादी का हिस्सा स्वीकार है दावा स्वीकार कर दिया जावे। लेकिन वादी ने किसी अन्य पक्षकार से प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही खुलवा कर, जवाब दावा पेश करने में नो ऑब्जेक्शन करके दावे को जवाबदावे में डलवा दिया। जबकि इकबाली जवाब दावा आने पर प्रकरण वाद उसी दिन निस्तारण हो जाना चाहिए था। अपीलांट्स बंटवारा कराने के लिए सहमत हैं। अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्त कार है तथा मौके पर काबिज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षाति के तीनो बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में हैं अतः अपील स्वकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है। बंटवारा नहीं हुआ है तथा तरमीम नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन होने तक यथास्थित

का आदेश किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। जहां तक इकबाली जबाबदावे का सवाल है तो यह मैन वाद में पेश किया गया है दावे में अपीलांट के अलावा अन्य पक्षकार भी हैं। इस समय केवल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रकरण केवल खाता विभाजन का है तथा अपीलांट्स ने दावे में ही इकबाली जबाब पेश कर रखा है तथा कथन किया है कि रेस्पो. सं. 1 के हिस्से व कब्जा काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं और न ही कोई किसी प्रकार का झगड़ा है। रेस्पो. सं. 1 का यह कथन औचित्यहीन है कि प्रकरण में अन्य पक्षकार भी हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र में जो भी आरोप लगाए हैं वे अपीलांट्स पर ही लगाए हैं अन्य पक्षकारों पर नहीं। अपीलांट के इस कथन की पुष्ठि धारा 212 के प्रार्थना पत्र से होती है। अपीलांट भी दावे का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराने के लिए सहमत है। इस संबध में अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के समय भी न्यायालय के समक्ष सहमति से खाता विभाजन करने की इच्छा जताई ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नहीं होने से अपील स्वीकार किए जाने योग्य है एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 129/2017 (225 आर.टी.ए.) में पारित अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया गया है परंतु इस प्रकरण के तथ्य भिन्न हैं अतः रेस्पो. के अधिवक्ता का तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं।

8 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 निरस्त किया जाता है।

16/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर